


मोटे एवं अधिभाषकों
भाटे के हस्तगत

न्यायालय भाननीय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, मध्यप्रदेश

97



निगरानी प्रकरण कमांक ~~RS 175~~ 16

- 1- बुद्धिमान सिंह तनय श्री निचकऊ सिंह उम्र 62 साल
- 2- मुक्तो सन्तोषा देवी पत्नी निचकऊ सिंह उम्र 82 साल

दोनो निवासी ग्राम करौंदिया दक्षिण टोला तहसील गोपदबनास जिला सीधी

म0प्र0

निगरानीकर्तागण

बनाम

- 1- कैलसुआ देवी वेवा बांकैलाल सिंह चौहान
- 2- विवेक सिंह तनय स्व0 बांकैलाल सिंह चौहान
- 3- जीतेन्द्र सिंह तनय स्व0 बांकैलाल सिंह चौहान

सभी निवासी ग्राम करौंदिया दक्षिण तहसील गोपदबनास थाना कोतवाली सीधी जिला सीधी म0प्र0

4- मध्यप्रदेश शासन

अनावेदकगण

श्री. दे. वेंकट हिंदी एड
द्वारा आज दिनांक 7-4-16 को
प्रस्तुत किया गया।

रीडर
सर्किट कोर्ट टीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय तहसील गोपदबनास जिला सीधी म0प्र0 प्रकरण कमांक 04/अ-12/14-15 में पारित आदेश दिनांक 30.12.2015, पारित अन्तर्गत धारा 129 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नांकित हैं :-

1- यहकि अधीनरुध न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नाधीन सीमांकन पुष्टि आदेश विधि प्रक्रिया तथा एवं सहज न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने से निररत किये जाने योग्य है ।

Signature

97

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R. 5175-116 जिला- सीधी

बुद्धिमान सिंह विरुद्ध के लसुआ इधर सिंह चौधरी

(1)	(2)	(3)
18-12-18-	<p>1. आवेदक की ओर से श्री देवेन्द्र शिवेरी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार/ नयब तहसीलदार/राजस्व निरीक्षक, तहसील गोपदवनास के प्रकरण क्रमांक 04/अ.12/1415 में पारित आदेश दिनांक 30.12.15 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला सीधी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 21.1.19 को कलेक्टर सीधी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p>	